दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

बृहस्पतिवार, 19 दिसम्बर, 1996/मार्गशीष 28, 1918 (शक)

संख्या - 301

(1) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की प्रथम विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का प्रारम्भ

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की प्रथम विधान सभा का ग्यारहवां सत्र सोमवार, 6 जनवरी, 1997 को प्रातः 11·00 बजे से विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली में प्रारम्भ होगा । उप-राज्यपाल सदस्यों को सम्बोधित करेंगे ।

(2) ग्यारहवें सत्र में कार्य निष्पादन के लिये दिनों का नियतन

कार्य निष्पादन के लिये विधान सभा की बैठकों के लिये अस्थायी तौर पर 6, 7, 8, 9, 10 एवं 13 जनवरी, 1997 की तिथियां नियत की गई है ।

बैठकों का अस्थायी तिथि-पत्र संलग्न है ।

(3) विधान सभा की बैठकों का समय

6 जनवरी, 1997 को छोड़कर, जबकि उप-राज्यपाल सदस्यों को प्रातः 11·00 बजे सम्बोधित करेंगे, जब तक अध्यक्ष महोदय कोई अन्य निदेश न दें, विधान सभा की बैठकें नियत की गई तिथियों को अपराह्न 2·00 बजे से आरम्भ होकर तब तक चलती रहेंगी जब तक उस दिन की बैठक स्थगित न हो जाए ।

(4) प्रश्नों के नोटिस एवं बैलेट

विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन विषयक नियम 30 के अधीन समस्त माननीय सदस्यों को प्रश्नों की सूचनाएं भेजते समय स्पष्ट रूप से कम से कम 12 दिन का समय देना आवश्यक है । नियम 33

केअंतर्गत सदस्य अल्प सूचना प्रश्न, तारांकित प्रश्न तथा अतारांकित प्रश्नों सहित एक दिन के लिये केवल पांच प्रश्नों की सूचना दे सकते हैं । यदि कोई सदस्य एक दिन के लिये पांच प्रश्नों से ज्यादा प्रश्नों की सूचनाएं देता है तो उनकी पहली पांच सूचनाएं स्वीकृत की जायेंगी और बाकी सूचनाएं अस्वीकृत समझी जायेंगी ।

§5§ ग्यारहवें सत्र के दौरान प्रश्नों का उत्तर देने के लिये दिनों का आबंटन §नियम-34§

मंत्रियों द्वारा ग्यारहवें सत्र में विभिन्न विभागों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिये निम्नानुसार दिनों का निर्धारण किया गया है :-

क्र·सं·	विभाग	बैठक की तिथि	कॉलम-2 में दर्शाये गये विभागों से संबंधित प्रश्नों के नोटिस प्राप्त करने की अंतिम तिथि	मौखिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिये बैलेटिंग की तिथि
1	2	3	4	5
1·	प्रशासनिक सुधार, सामान्य प्रशासन, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, सतर्कता, श्रम, कॉलेज शिक्षा	7·1·97	24·12·96 अप· 3 बजे तक	24·12·96 अप· 5 बजे
2·	गृह, राजस्व, योजना, सहकारिता, खाद्य अपमिश्रण, जेल, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण, सेवाएं, परिवहन	8·1·97	26·12·96 अप· 3 बजे तक	26·12·96 अप· 5 बजे
3·	खाद्य एवं संभरण, जन-संपर्क, बिक्री कर, गुरुद्वारा चुनाव, वित्त, समाज कल्याण	9·1·97	27·12·96 अप· 3 बजे तक	27·12·96 अप· 5 बजे

1	2	3	4	5
4·	भूमि एवं भवन, सिंचाई एवं बाढ़, उद्योग, चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य, भाषा	10·1·97	27·12·96 अप· 3 बजे तक	27·12·96 अप· 5 बजे
5·	आबकारी, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवन, विकास, पर्यटन, चुनाव, रोजगार, विधि एवं न्याय, शहरी विकास	13·1·97	30·12·96 अप· 3 बजे तक	30·12·96 अप· 5 बजे

टिप्पणी-

1· ग्यारहवें सत्र के लिये प्रश्नों की सूचनाएं तत्काल प्रभाव से प्राप्त की जायेंगी।

2· सदस्य एक दिन में तारांकित, अतारांकित प्रश्नों सहित केवल पांच प्रश्नों की सूचना दे सकते हैं ।

3· माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि यदि विभिन्न विभागों (पैरा-5 के कालम-3 एवं 4 के अनुसार) से संबंधित किसी प्रश्न की सूचना अंतिम तिथि और समय के पश्चात् प्राप्त होती है तो ऐसी सूचना अस्वीकृत मानी जायेगी ।

4· प्रश्नों को संयुक्त केवल उसी स्थिति में किया जायेगा जब एक से अधिक सदस्य एक ही तरह के विषयों से संबंधित प्रश्नों की सूचना देते हैं । बाद में प्राप्त की गई सूचनाएं, यदि मूल रूप में एक ही विषय अथवा मामले से संबंधित हों तो उन्हें अस्वीकृत कर दिया जायेगा । (नियम-28(6))

5· सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपया प्रश्नों पर अपनी प्राथमिकता का संकेत अवश्य दें । यदि प्राथमिकता का संकेत नहीं दिया जाता है तो प्राथमिकता का निर्णय प्रश्नों की सूचना प्राप्त होने के समय के अनुसार किया जायेगा।

6· प्रश्नों का बैलेट, सचिव, विधान सभा के कक्ष में प्रत्येक के सामने दर्शायी गई तिथि को सायं 5·00 बजे किया जाएगा । सदस्यों से अनुरोध है कि बैलेटिंग के लिये नियत किये गये दिनों पर प्रश्नों की सूचना की बैलेटिंग को देखने का कष्ट करें ।

(6) नियम-259 के अंतर्गत विशेष उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने दिनांक 31 मार्च,1995 के समाचार भाग-2 के माध्यम से नियम 259 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठाने हेतु प्रक्रिया संबंधी निर्देश जारी किये थे । जो माननीय सदस्य नियम 259 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामलों को जिस दिन/तिथि को उठाना चाहते हैं वे प्रस्तावित विषय की सूचना उसी दिन पूर्वाह्न 11·00 बजे तक दे सकते हैं । प्रथम 10 सूचनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु बैलेटिंग प्रत्येक दिन पूर्वाह्न 11·00 बजे सचिव,विधान सभा के कक्ष में की जायेगी । माननीय सदस्यों से बैलेटिंग में भाग लेने हेतु अनुरोध किया जाता है ।

सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे विशेष उल्लेख के पाठ को केवल 10-15 पंक्तियों तक ही सीमित रखें और सदन में उस विषय को उठाते समय मूल पाठ से न हटें ।

(7) गैर सरकारी सदस्यों के कार्य

माननीय अध्यक्ष ने गैर सरकारी सदस्यों के कार्य हेतु निम्न प्रकार से तिथियों का आबंटन किया है :-

गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प : शुक्रवार, 10 जनवरी,1997 को होने वाली सदन की बैठक की तिथि गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिये आबंटित की गई है । 10 जनवरी,1997 को लिये जाने वाले संकल्पों हेतु गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूचनाएं 31 दिसम्बर,1995 को अपराह्न 3·00 बजे तक प्राप्त की जाएंगी । केवल पांच संकल्पों के लिये बैलेटिंग सचिव के कमरे में 31·12·96 को अपराह्न 5·00 की जायेगी । सम्मानित सदस्यों का बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने के लिये स्वागत है ।

(6) उपस्थिति पंजिका

माननीय सदस्यों का ध्यान प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 237 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अंतर्गत माननीय सदस्यों को सदन की बैठक स्थगित होने से पहले, अपनी उपस्थिति,उपस्थिति पंजिका में अंकित करनी होती है । उपस्थिति पंजिका सदन की बैठक आरंभ होने से आधा घंटा पहले सदन के बायें तथा दायें कक्ष में रखी जाती है । सदस्यों से अनुरोध है कि वह प्रतिदिन अपनी उपस्थिति उसमें अंकित करें ।

§9§ सूचनाओं की प्रक्रिया

सदस्यों का ध्यान दिल्ली विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम के नियम 238 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो निम्न प्रकार से है :-

"प्रत्येक सूचना जिसकी नियमों के अंतर्गत आवश्यकता हो, सचिव को संबोधित करके या लिखित रूप में दी जायेगी और वह . उनके कार्यालय में कार्यकाल के भीतर दी जायेगी ।"

§2§ जब तक नियमों में अन्यथा उपबंध न हो, सूचना जो कार्यालय में उपर्युक्त नियम में दिये गये समय के उपरांत अन्य समयों में प्राप्त हो, वह अगले दिन खुलने वाले दिन प्राप्त हुई समझी जायेगी ।"

§10§ सूचना देने वाले सदस्य को प्रत्येक सूचना पर मत विभाजन संख्या अंकित करते हुए बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखकर स्याही से हस्ताक्षर करने चाहिये और उसे विधान सभा के सूचना कार्यालय में जमा कराना चाहिये ।

§11§ विधान सभा के सूचना कार्यालय में दी गई सभी सूचनाओं पर तिथि की मुहर और सूचना प्राप्त करने का समय भी अंकित किया जाता है ।

§12§ विधान सभा सूचना कार्यालय सदस्यों की सूचनाओं को बिना विलम्ब किये सम्बद्ध शाखाओं/अधिकारियों तक प्रेषित करने के लिये उत्तरदायी है । अतएव, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी सूचनाएं न तो सदन पटल पर रखें और न ही विधान सभा के किसी अन्य अधिकारी/शाखा को दें । यदि कोई सदस्य ऐसा करता है तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा ।

§13§ विधान सभा सूचना कार्यालय द्वारा सूचनाओं को प्राप्त करने के लिये विर्निदिष्ट समय उनके लिये उल्लिखित तिथियों को प्रातः 9·30 बजे से अपराह्न 3·00 बजे के बीच है । सूचना कार्यालय में अपराह्न 3·00 बजे के बाद दी गई सूचनाओं को अगले कार्यदिवस को प्रातः 9·30 बजे दिया गया माना जायेगा । इसका अभिप्राय सदस्यों को डाक द्वारा सचिव को संबोधित सूचनाएं भेजने की सुविधा से वंचित करना नहीं है ।

§14§ एक ही सूचना या पत्र में विभिन्न मामलों की सूचना एक साथ नहीं दी जायेगी ।

§15§ दर्शक दीर्घा प्रवेश-पत्र

सदस्यों का ध्यान दर्शक दीर्घा में प्रवेश संबंधी विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 236 के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी निर्देशों की ओर आकर्षित किया जाता है । इसके साथ-साथ निर्देशों में व्यवस्था है कि दर्शक दीर्घा के प्रवेश पत्र जारी कराने के आवेदन-पत्र, जिस दिन के लिये प्रवेश पत्र चाहिये, उस दिन से पूर्व एक कार्य दिवस को अपराह्न 5·00 बजे तक अवश्य प्रस्तुत किये जायें। उदाहरणार्थ, 6·1·1997 को होने वाली सदन की बैठक के लिये दर्शक दीर्घा के लिये आवेदन पत्र पूर्व कार्य दिवस अर्थात् दिनांक 3·1·97 को अपराह्न 5·00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे । इसी प्रकार अनुवर्ती तिथियों के दीर्घा प्रवेश पत्रों के लिये आवेदन पत्रों पर कार्रवाई की जायेगी और वे इसी प्रकार से स्वीकार किये जायेंगे ।

दर्शक दीर्घा में बैठने के स्थान सीमित होने के कारण प्रत्येक बैठक के लिये किसी सदस्य को दो से अधिक प्रवेश पत्र जारी नहीं किये जायेंगे । दर्शक दीर्घा का कोई भी प्रवेश पत्र सामान्यतः उसी दिन जारी नहीं किया जायेगा ।

टिप्पणी : सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल उन्हीं दर्शकों को दर्शक दीर्घा प्रवेश पत्र जारी करें जिनके चरित्र के बारे में वे भली-भाति जानते हों ।

§16§ संसदीय परम्पराएं, रीति रिवाज एवं शिष्टाचार

संसदीय परम्पराएं, रीति-रिवाज एवं शिष्टाचार

सदस्यों का ध्यान इसके साथ-साथ उनके द्वारा अनुपालनीय निम्नलिखित संसदीय परम्पराओं, रीति-रिवाजों एवं शिष्टाचारों की ओर आकर्षित किया जाता है

1· सदन के अनुशासन तथा सदन की कार्यवाही की गंभीरता के लिए आवश्यक है कि किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार की नारेबाजी या सभा मंडप के बीच धरना देना या आसन पर खड़ा नहीं होना चाहिये ।

2· अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था की सदन के अंदर या बाहर प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः आलोचना नहीं होनी चाहिये ।

3· सदन में किसी भी प्रकार की वस्तुओं का प्रदर्शन करना उचित नहीं है ।

संसदीय शिष्टाचार

1· किसी भी सदस्य को अपने सामान्य आसन से ही सदन को संबोधित करना चाहिए ।

2· किसी भी सदस्य को अध्यक्ष की ओर पीठ करके बैठना या खड़ा नहीं होना चाहिए ।

3• किसी भी सदस्य को सदन में अध्यक्ष से व्यक्तिगत संपर्क नहीं करना चाहिए यदि आवश्यक हो तो वह पटल पर बैठे अधिकारियों को पर्चियाँ भेज सकते हैं ।

4• किसी भी सदस्य को अपना भाषण देने के पश्चात् तुरन्त सदन नहीं छोड़ना चाहिए । सदन के शिष्टाचार के अनुसार अपेक्षित है कि सदस्य अपने अपने भाषण के पश्चात् अपने-अपने स्थान ग्रहण करें । यदि आवश्यक हो तो इसके पश्चात् ही सदन छोड़े ।

5• सदस्य को कक्ष {चैम्बर} के रास्ते में खड़ा नहीं होना चाहिए । या तो उन्हें बैठ जाना चाहिए या बाहर चला जाना चाहिए ।

6• जब सदन की बैठक चल रही हो तो किसी भी सदस्य को "फ्लोर क्रास" नहीं करना चाहिय अर्थात्, उसे अध्यक्ष और बोल रहे सदस्य के बीच में से नहीं निकलना चाहिए ।

7• बोलने के लिए अध्यक्ष के खड़े होते ही अथवा बैठने के लिए किसी सदस्य से अनुरोध करने पर कोई अन्य सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से भाषण कर रहा हो, तब भी या व्यवस्था का मामला उठाने के लिए वाद-विवाद के दौरान टीका-टिप्पणी कर रहा हो, तब प्रत्येक सदस्य को तुरन्त अपना आसन ग्रहण कर लेना चाहिए ।

8• मंत्रियों के अलावा सदस्यों के लिए सदन के भीतर अधिकारी दीर्घा में अधिकारियों से संपर्क करना उचित नहीं है ।

{17} सदन में उचित अनुशासन बनाये रखने के उद्देश्य से सदस्यों से अनुरोध है कि वे सदन में सेलुलर टेलीफोन, पेजर्स अथवा वैधुत उपकरण {इलैक्ट्रॉनिक गैजिट} आदि लेकर न आयें । यदि उनके पास इस प्रकार के उपकरण हों, तो वे कृपया यह सुनिश्चित करें कि जब वे सदन में हों तो ऐसे उपकरणों का स्विच बन्द रखें ।

टिप्पणी : सदस्यों का ध्यान नियम-256{1} की ओर आकर्षित किया जाता है जो इस प्रकार है :-

"अध्यक्ष व्यवस्था स्थापित रखेंगे और किसी सदस्य को जिनका व्यवहार उनकी राय में अव्यवस्थापूर्ण हो, अथवा अध्यक्ष के प्रति अवज्ञापूर्ण हो, सदन से तुरन्त बाहर चले जाने का निदेश दे सकेंगे और जिस सदस्य को इस प्रकार बाहर चले जाने का निदेश दिया जाये वह तत्काल सभा मंडप से बाहर चले जायेंगे और उस दिन के उपवेशन के अवशिष्ट समय में अनुपस्थित रहेंगे ।

सदस्यों का सहयोग प्रार्थनीय है ।

पी•एन•गु

सा

दिल्ली विधान सभा

﴾ग्यारहवाँ सत्र﴿

बैठकों का अस्थाई तिथि पत्र

06 जनवरी, 1997	सोमवार	उप-राज्यपाल का अभिभाषण ﴾11·00 बजे अपराह्न﴿
07 जनवरी, 1997	मंगलवार	सरकारी कार्य
08 जनवरी, 1997	बुधवार	सरकारी कार्य
09 जनवरी, 1997	बृहस्पतिवार	सरकारी कार्य
10 जनवरी, 1997	शुक्रवार	गैर सरकारी कार्य ﴾संकल्प﴿
11 जनवरी, 1997	शनिवार	कोई बैठक नहीं ﴾अवकाश﴿
12 जनवरी, 1997	रविवार	कोई बैठक नहीं ﴾अवकाश﴿
13 जनवरी, 1997	सोमवार	सरकारी कार्य

पी·एन·गुप्ता

सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)

Thursday, the 19th December, 1996/Margshish 28, 1918 (Saka)

No. 301

(1) Commencement of Eleventh Session of the First Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi.

Members are informed that the Eleventh Session of the First Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi will commence on Monday, the 06th January, 1997 at 11.00 A.M. in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi. The Lt. Governor shall address the Members.

(2) Allotment of days for the transaction of Business during the Eleventh Session.

The sittings of the Legislative Assembly for the transaction of business have been tentatively fixed for 6, 7, 8, 9, 10 and 13 January, 1997.

The provisional calendar of sittings is annexed.

(3) Time of sitting of Legislative Assembly.

Except on 6th January, 1997, when the L.G. shall address the members at 11.00 A.M., the sitting of the Legislative Assembly shall commence at 2.00 P.M. and continue till it is adjourned for the day, unless the Speaker directs otherwise.

(4) Notices of Questions and holding of Ballot.

Under Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, not less than 12 days clear notice of questions is required to be given by the Members. Under Rule 33, the Members may give notice of only five questions in a day including Short Notice Questions, Starred Questions and Unstarred Questions. In case any member gives notice of more than five questions on any day, his first five notices will be taken up and rest of the notices shall be deemed to have been rejected.

(5) Allotment of days for answering questions during the Eleventh Session (Rule - 34).

For the Eleventh Session, the days for answering questions by Ministers in respect of various Departments have been set out as under:

Sl.No.	Departments	Date of Sitting	Last Date of receipt of notice of questions for the Departments indicated in col.2	Date of holding ballot for determining priority for oral answers
1	2	3	4	5
1.	Administrative Reforms, General Administration Education, Tech. Edn., Vigilance, Labour, College Education.	07.01.97	24.12.96 upto 3.00 P.M.	24.12.96 5.00 P.M.

contd...2/-

1	2	3	4	5
2.	Home, Revenue, Planning, Cooperative, Prevention of Food Adulteration, Jails, Welfare of SC/ST, Services, Transport.	08.01.97	26.12.96 upto 3.00 P.M.	26.12.96 5.00 P.M.
3.	Food & Supplies, Public Relation, Sales Tax, Gurudwara Elections, Finance, Social Welfare.	09.01.97	27.12.96 upto 3.00 P.M.	27.12.96 5.00 P.M.
4.	Land & Building, Irrigation & Flood, Industries, Medical & Public Health, Language.	10.01.97	27.12.96 upto 3.00 P.M.	27.12.96 5.00 P.M.
5.	Excise, Environment, Forest & Wildlife, Development, Tourism, Elections, Employment, Law & Justice, Urban Development.	13.01.97	30.12.96 upto 3.00 P.M.	30.12.96 5.00 P.M.

NOTE: Notices of questions for the Eleventh Session will be received with immediate effect.

2. A Member may give notice of upto five questions in a day including Starred and Unstarred Questions.

3. Members may kindly note that if notice of any question is received after the last date and time in respect of various departments vide col. 3 and 4 of para 5 above, such a notice shall stand disallowed.

4. The clubbing of questions will be done in case several notices of questions on the same subject matter are received. Notices of questions subsequently received and repeating in substance the same subject matter are liable to be disallowed (Rule - 28 (vi).

5. Members are requested to indicate clearly and legibly their priority in respect of questions. If no priority is indicated, the same will be decided according to the rules.

6. Ballot will be held in the room of the Secretary at 5.00 P.M. on the dates indicated against each. Members are requested to kindly make it convenient to witness the balloting of notice of questions on the dates fixed for the purpose.

(6) Special Mentions Under Rule 259.

Hon'ble Speaker was pleased to issue vide Bulletin Part-II dated 31st March, 1995, directions regarding procedure for raising special mentions under Rule 259. Members who want to raise matters under Rule 259 may give notice of the same by 11.00 A.M. on the date the matter is proposed to be raised. Balloting for fixing inter-se priority for the first 10 notices will be held in the room of Secretary at 11.15 A.M. on each day. Hon'ble Members are requested to participate in the balloting.

Members are requested to confine the text of the Special Mention to 10-15 lines only and not to deviate from the original text while raising the same onthe floor of the House.

contd. 3/

(7) Private Members' Business

The Hon'ble Speaker has been pleased to allot the sittings of the House for Private Members Business as under:

> Private Members Resolutions - The sitting of the House to be held on Friday, the 10th January, 1997 has been allotted for Private Members Resolutions. The notices of Private Members' Resolutions would be received upto 3.00 P.M. on 31st December, 1996 in respect of Resolutions to be taken up on 10 January, 1997. Balloting for only five Resolutions will be done in the room of Secretary at 5.00 P.M. on 31st December, 1996. Hon'ble Members are welcome to participate in the balloting.

(8) Attendance Register

Kind attention of all the members is invited to Rule 237 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly under which they have to mark attendance in the Register before the sitting of the House is adjourned for the day. The attendance Register is kept daily half-an-hour before the commencement of sitting in the left and right lobbies of the House. Members are requested to Mark their attendance thereinn every day.

(9) Procedure of Notices

Kind attention of Members is invited to Rule 238 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly which reads as follows :-

> "Every notice required by the Rules shall be given in writing addressed to the Secretary and shall be delivered in his office during workking hours.
>
> (2) Unless otherwise provided in these rules, a notice received in the office at hours after those specified in the preceding sub-rule shall be treated as given on the next opening day".

(10) Every notice should be signed in ink by the Member giving the notice, indicating his division number and name in capital letters and should be deposited in the Assembly Notice Office.

(11) All notices delivered in the Assembly Notice Office are date stamped and the time of receipt is also indicated thereon.

(12) The Assembly Notice Office is responsible for transmission of the notices to the Branches, Officers concerned without delay. Members are, therefore, requested not to deposit their notices either at the Table of the House or with any other officer/branch of the Assembly Secretariat. If any Member does so, it is not likely to be taken note of.

(13) The hours specified for the receipt of notices by the Assembly Notice Office are between 9.30 A.M. and3.00 P.M. on the date mentioned for the same. Notices left at the Notice Office after 3.00 P.M. would be treated as having been received at 9.30 A.M. on the next working day.. This is not intended to preclude the members from sending notices addressed to the Secretary by post.

(14) Communications on different matters may not be combined in one notice or letter.

(15) Visitors' Gallery Pass

Attention of the members is invited to th directions issued by Hon'ble Speaker under Rule 236 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly with regard to admission to the Visitors' Gallery. The directions, inter alia, provide that application forms for issue of Visitors; Gallery Passes must be submitted by 5.00 P.M.

on the working day previous to the date for which the Gallery Passes are required. For example, applications for Gallery Passes meant for sitting of the House on 06.01.97 will be accepted upto 5.00 P.M. on the earlier day i.e. 03.01.97. Similarly, applications for Gallery Passes for the subsequent dates would be processed and issued in the like manner.

The seating capacity in the Visitors' Gallery being limited, not more than two passes shall be issued to a Member for each sitting. No admission cards for the Visitors' Gallery will ordinarily be issued on the same day.

Note: Members are requested to recommend issue of Gallery Passes only for those visitors whose antecedents are well known to them.

(16) Parliamentary Conventions and Etiquettes

Attention of the Members is invited, inter alia, to the following Parliamentary Customs, Conventions and Etiquettes required to be observed by them:

i) The decorum and the seriousness of the proceedings of the House require that no member should shout slogans of any kind or sit on dharna in the pit of the House or stand up on the seat.

ii) Ruling given by the Chair should not be criticised directly or indirectly, inside or outside the House.

iii) Display of exhibits on the floor of the House is not in order.

PARLIAMENTARY ETIQUETTES

i) A member should keep to his usual seat while addressing the House.

ii) A member should not sit or stand with his back towards the Chair.

iii) A member should not approach the Chair personally in the House. He maysend chits to the Officers at the Table, if necessary.

iv) A member should not immediately leae the House after delivering his speech, courtesy to the House requires that after delivering their speeches members resume their seats and leave the House only aftewards, if necessary.

v) Members should not stand in the passage of the Chamber, they should either sit down or go out.

vi) A member should not "cross the floor" when the House is sitting, i.e. he should not pass between the Chair and the Member who is speaking.

vii) Every member should resume his seat as soon as the Speaker rises to speak, or requests a member to sit down, and also when any other member is in possession of the floor (i.e. speaking with the permission of the Chair) or has interposed in the course of debate to raise a point of order.

viii) It is not in order for members, other than Ministers, to consult officials in the Officers' Gallery inside the House.

contd...5/-

(17) IN ORDER TO MAINTAIN PROPER DECORUM IN THE HOUSE ALL MEMBERS ARE REQUESTED NOT TO BRING CELLULAR PHONES, PAGERS OR OTHER ELECTRONIC GADGETS ETC. IN THE HOUSE. IF THEY ARE IN POSSESSION THEREOF, THEY MAY KINDLY ENSURE THAT IT IS KEPT SWITCHED OFF WHILE THEY ARE IN THE HOUSE.

NOTE: Attention of Members is invited to Rule 256 (1) which reads as follows:

> "The Speaker shall preserve order and may direct any member whose conduct in his opinion is disorderly or is defiant to the Speaker to withdraw immediately from the House and the member so ordered to withdraw shall withdraw from the Assembly Hall forthwith and shall absent himself during the remainder of the day's sitting".

Kind cooperation of members is solicited.

P.N. GUPTA
SECRETARY

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

(ELEVENTH SESSION)

PROVISIONAL CALENDAR OF SITTING

06 January, 1997	Monday	L.G. Address (at 11 A.M.)
07 January, 1997	Tuesday	Government Business
08 January, 1997	Wednesday	Government Business
09 January, 1997	Thursday	Government Business
10 January, 1997	Friday	Private Members' Business (Resolutions)
11 January, 1997	Saturday	No sitting (Holiday)
12 January, 1997	Sunday	No sitting (Holiday)
13 January, 1997	Monday	Government Business

P.N. GUPTA
SECRETARY